प्रेषक

डा0 रजनीश दुबे
अपर मुख्य सचिव
मत्स्य विभाग
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक
मत्स्य विभाग
उ0प्र0 लखनऊ

दिनांक 04/11/2023

संख्या- 1579 / सत्रह-म-2023- 17-1099/55/2021

विषय- उत्तर प्रदेश मत्स्य पालक कल्याण कोष के अन्तर्गत मत्स्य पालक/ मछुआ परिवारों की महिलाओं को सशक्त करने हेतु " माता सुकेता महिला मत्स्य पालक सशक्तीकरण परियोजना" से सम्बंधित मार्ग- निर्देश ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- 614/ नि0शा0/ म0पा0क0को0 दिनांक 19 अक्टूबर, 2023 के अनुक्रम में उ0प्र0 मत्स्य पालक कल्याण कोष अन्तर्गत मत्स्य पालक / मछुआ परिवारों की महिलाओं को सशक्त करने हेतु माता सुकेता महिला मत्स्य पालक सशक्तीकरण परियोजना संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

2- प्रश्नगत प्रकरण में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश मत्स्य पालक कल्याण कोष के अन्तर्गत " मत्स्य पालक/ मछुआ परिवारों की महिलाओं को सशक्त करने हेतु " माता सुकेता महिला मत्स्य पालक सशक्तीकरण परियोजना" के क्रियान्वयन से सम्बंधित विवरण/ दिशा-निर्देश इस प्रकार हैं-

1. उद्देश्य :

उ0प्र0 मत्स्य पालक कल्याण कोष के अन्तर्गत मत्स्य पालक/मछुआ परिवारों की महिलाओं को सशक्त किए जाने के उद्देश्य से माता सुकेता महिला मत्स्य पालक सशक्तीकरण परियोजना के अंतर्गत ग्रामीण अंचलों/ जलाशयों के निकट निवास करने वाले मत्स्य पालक/मछुआ परिवार की महिलाओं को जलाशयों में केज स्थापित कर मत्स्य पालन करने हेतु अनुदान की सुविधा प्रदान की जायेगी। योजनान्तर्गत ऐसी महिला आवेदकों का चयन करते हुए अनुदान की सुविधा प्रदान की जायेगी जो पारम्परिक रूप से मत्स्य पालन/ व्यवसाय में लगी हों एवं इस परियोजनान्तर्गत किसी अन्य योजना से लाभान्वित न हुई हों। इस योजना के माध्यम से गरीब मछुआ समुदाय की महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करते हुए उन्हें स्वावलम्बी व आत्मनिर्भर बनाया जायेगा।

इस योजना के संचालन से प्रदेश के मत्स्य उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ बड़े जलक्षेत्र की उत्पादकता में भी वृद्धि होगी, साथ ही प्रचुर मात्रा में प्रोटीनयुक्त खाद्य पदार्थ के रूप में मछलियों की उपलब्धता भी

सुनिश्चित होगी।

2. परियोजना का कार्यक्षेत्रः

इस परियोजना का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश होगा। यह परियोजना प्रदेश के उन जनपदों मे जहां पर केज स्थापना हेतु बड़े एवं मध्यम आकार के जलाशय जहां कम से कम 10 मीटर गहराई उपलब्ध हैं, में संचालित की जायेगी। योजनान्तर्गत प्राकृतिक जलस्रोत, जलाशय तथा गहरी झीलों में स्थापित केजों में सघन मत्स्य पालन कार्य करते हुए मत्स्य उत्पादन किया जायेगा जिससे उस जल क्षेत्र की उत्पादकता मे वृद्धि होगी |

3. चयन हेतु पात्रताः

प्राथमिकता के आधार पर पारम्परिक रूप से मत्स्य पालन/मत्स्य व्यवसाय में लगे एवं केज कल्चर की परियोजनान्तर्गत किसी अन्य योजना से लाभान्वित न हुए मत्स्य पालक/मछुआ, परम्परागत मत्स्य आखेटक, केवट, मल्लाह, निषाद, बिन्द, धीमर, कश्यप, बाथम, रैकवार, मांझी, गोड़िया, कहार, तुरैहा/तुराहा समुदाय से संबंधित महिला अथवा कोई अन्य महिला, जो एक वर्ष अथवा उससे अधिक अवधि से मत्स्य पालन या मात्स्यिकी क्रिया-कलापों से सक्रिय रूप से जुड़ी हो तथा उससे अपना जीविकोपार्जन कर रही हो एवं उत्तर प्रदेश की निवासिनी हो, चयन हेतु पात्र होगी|

4. योजना का स्वरूपः

4.1 उ0प्र0 मत्स्य पालक कल्याण कोष से यह परियोजना निर्धारित इकाई लागत पर 60 प्रतिशत अनुदान एवं 40 प्रतिशत लाभार्थी अंश के आधार पर संचालित की जायेगी।

4.2 परियोजनान्तर्गत प्रति महिला 01 केज की स्थापना पर अनुदान अनमुन्य होगा।

4.3 लाभार्थी चयन का कार्य जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जायेगा।

4.4 योजनान्तर्गत प्रति केज की साइज़ 6x4x4 मी0 आयताकार आकार की होगी ।

4.5 योजनान्तर्गत 01 केज की इकाई की कुल परियोजना लागत ₹ 3.00 लाख निवेश सहित होगी, जिसमें लाभार्थी को परियोजना लागत के सापेक्ष अनुदान के रूप में 60 प्रतिशत ₹1.80 लाख लाभार्थी को कोष के माध्यम से देय होगा। लाभार्थी अंश की धनराशि ₹1.20 लाख चयनित लाभार्थी द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड ऋण के माध्यम से /स्वयं के संसाधन से व्यय किया जाएगा ।

4.6 वित्तीय वर्ष 2023-24 में महिला सशक्तीकरण योजना के अंतर्गत कुल 250 केजों की स्थापना पर 60 प्रतिशत की दर से कुल ₹450.00 लाख के अनुदान कोष के माध्यम से लाभार्थियों को दिया जाना प्रस्तावित है, जिसका विवरण निम्नवत हैः-

धनराशि (₹लाख में)

क्र0	योजना का नाम	इकाई लागत प्रति केज स्थापना निवेश सहित	निवेश सहित स्थापित किये जाने वाले केजों की संख्या	कुल परियोजना धनराशि	अनुदान (60 प्रतिशत)	लाभार्थी अंश (40 प्रतिशत)
1	माता सुकेता महिला	3.00	250	750.00	450.00	300.00

	मत्स्य पालक सशक्तीकरण योजना					

5. लाभार्थी चयन प्रक्रिया –

5.1 आवेदक द्वारा केज कल्चर परियोजना हेतु आनलाइन आवेदन विभागीय पोर्टल पर किया जायेगा।

5.2 एक परिवार की एक ही महिला लाभार्थी को इस परियोजना से लाभान्वित किया जायेगा।

5.3 प्राप्त आवेदन पत्रों का सत्यापन जनपदीय सहायक निदेशक मत्स्य/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा किया जायेगा।

5.4 जनपद स्तर पर प्राप्त आवेदनों के सापेक्ष पात्र पाये गये आवेदनों को डिजिटल लाटरी द्वारा रैण्डमाइज कर क्रम निर्धारित करते हुए निर्धारित लक्ष्य के अनुसार लाभार्थी चयन की कार्यवाही जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति (डी0 एल 0 सी0) द्वारा की जायेगी।

5.5 जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में मत्स्य पालक कल्याण कोष अंतर्गत गठित जिला स्तरीय समिति निम्नानुसार है -

जिलाधिकारी	- अध्यक्ष
मुख्य विकास अधिकारी	- सदस्य
वरिष्ठ कोषाधिकारी/ कोषाधिकारी	- सदस्य
सहायक निदेशक मत्स्य/जनपदीय मत्स्य अधिकारी	- सदस्य सचिव

5.6 लाभार्थी द्वारा परियोजना कम से कम 05 वर्ष तक संचालित करना अनिवार्य होगा।

6. योजना का क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण

6.1 योजना का क्रियान्वयन जनपदीय सहायक निदेशक मत्स्य/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। योजना का क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण मुख्यालय एवं मण्डलीय अधिकारी द्वारा समय-समय औचक निरीक्षण करते हुए किया जायेगा। निदेशक मत्स्य तथा जिला स्तरीय समिति (जिलाधिकारीकी अध्यक्षता में गठित) द्वारा योजना का अनुश्रवण भी किया जायेगा।

6.2 योजना के क्रियान्वयन हेतु चयनित लाभार्थी को प्रशिक्षित किया जायेगा ।

6.3 लाभार्थियों का एक व्हाट्सएप ग्रुप होगा जिसमे जनपदीय, क्षेत्रीय अधिकारी तथा तकनीकि प्रदाता सम्मिलित होंगे जो आपस में तकनीकि जानकारी साझा करेंगे ।

6.3 योजना में क्रय सामग्री का साक्ष्य फोटोग्राफी या वीडियाग्राफी के माध्यम से जनपद स्तर पर अभिलेखार्थ सुरक्षित रखा जायेगा, जिसे समय समय पर उच्चाधिकारियों द्वारा चेक किया जाएगा ।

6.4 योजना के सफल क्रियान्वयन एवं उपलब्ध करायी गयी धनराशि का सदुपयोग कराये जाने एवं नियमित पर्यवेक्षण का उत्तरदायित्व जनपद स्तर पर सहायक निदेशक मत्स्य/मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं मण्डल स्तर पर उप निदेशक मत्स्य एवं राज्य स्तर पर निदेशक मत्स्य का होगा।

6.5 निदेशक मत्स्य द्वारा इस निमित्त एक प्रारूप विकसित कर इसकी समीक्षा की जायेगी एवं प्रगति से शासन को भी अवगत कराया जायेगा।

7. योजना से लाभ

7.1 परियोजना के लागू होने से 250 मत्स्य पालक/मछुआ परिवार की महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराते हुए उन्हें सामाजिक एवं आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाया जा सकेगा ।

7.2 जलाशयों के मत्स्य उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि होगी|

7.3 परियोजना संचालित होने से प्रदेश की लक्षित One Trillion Dollar इकोनोमी की प्राप्ति में सहायक होगी|

7.4 जनसामान्य के लिए प्रोटीनयुक्त आहार की उपलब्धता में वृद्धि होगी|

कृपया उपर्युक्तानुसार अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

भवदीय

(डा0 रजनीश दुबे)
अपर मुख्य सचिव

संख्या: 1579(1) / सत्रह-म-2023 तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. मुख्य स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. विशेष कार्याधिकारी, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
4. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0
5. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 मत्स्य विकास निगम लि0 लखनऊ।
6. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 मत्स्य जीवी सहकारी संघ लि0 लखनऊ।
7. निदेशक , लेखन एवं मुद्रण सामग्री प्रयागराज को आगामी गजट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।
8. समस्त मुख्य विकास अधिकारी/अधिशासी निदेशक, मत्स्य पालक विकास अभिकरण, उ0प्र0।
9. समस्त उप निदेशक मत्स्य उ0प्र0।
10. समस्त सहायक निदेशक मत्स्य/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी उ0प्र0।
11. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 / नियोजन विभाग-3
12. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से

(हरीश कुमार)
अनु सचिव